वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः डी0एस0डब्ल्यू/1011/2023–24 दिनांक : 21.12.2023

सेवा में,

1–समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
परिसर पाठ्यक्रम
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

2–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषयः–राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोस्ट–मैट्रिक/टाप क्लास में तिथि बढ़ाये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः C-5155/दि0ज0स0वि0/रा0छा0यो0/2023–24 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 का अवलोकन करने के कष्ट करें, जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोस्ट–मैट्रिक/टाप क्लास में तिथि बढ़ाये जाने की सूचना के सम्बन्ध में है। (छाया प्रति संलग्न)

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि शासन की मंशा के अनुरूप अपने विभाग/संस्था/महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र/छात्राओं को संलग्न समय–सारणी के अनुसार ऑन–लाइन आवेदन फार्म शासन की वेबसाइट–www.scholarship.gov.in पर भरने हेतु अपने स्तर से सूचित करने करने का कष्ट करें। छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दिशा–निर्देश वेबसाइट–www.scholarship.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

21/12/'23

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2–निजी सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–सहा0 कुलसचिव छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

कुल सचिव,
....
....

पत्रांकः– C-5155 /दि0ज0स0वि0/रा0छा0यो0/2023–24: लखनऊ : दिनांक– 19 दिसम्बर, 2023

विषयः– राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र– 2023–24 हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्री–मैट्रिक/ पोस्ट मैट्रिक/टॉप क्लास में तिथि बढ़ाये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांग छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक सशक्तीकरण है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के माध्यम से दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :–

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 और 10 के लिए),
- पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए),
- उच्च श्रेणी शिक्षा (टॉप क्लास) छात्रवृत्ति (शिक्षा के उत्कृष्टता में अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- राष्ट्रीय ओवसरसीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी),
- राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी),
- दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (ग्रुप क और ख पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यकमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं)

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है, जिस कम में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वर्ष–2023–24 को देखने से ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति हेतु समय–सारणी प्राप्त हुई है जिसमें प्रदर्शित है कि स्कीम की क्लोसिंग तिथि दिनांक–31.12.2023, डिफेक्टिव अप्लीकेशन वेरीफिकेशन तिथि दिनांक–15.01.2024 एवं इन्स्टीट्यूट वेरीफिकेशन तिथि दिनांक–15.01.2024 निर्धारित की गयी है।

समय सारणी–

स्कीम की क्लोसिंग अन्तिम तिथि	31.12. 2023
डिफेक्टिव अप्लीकेशन वेरीफिकेशन अन्तिम तिथि	15.01. 2024
इन्स्टीट्यूट वेरीफिकेशन अन्तिम तिथि	15.01. 2024

उपरोक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट www.scholarships.gov.in में उपलब्ध गाईड–लाइन्स में दी गयी व्यवस्थानुसार समन्यार्तगत आप अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत से लाभान्वित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

Dr. Manoj Kumar Pandey
Pls. do the needful
Adm
21/12/23

Sch22-23

पृष्ठाकंन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—2, उ0प्र0।

2—वैयक्तिक सहायक, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

2—समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0।

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक,
कृतेनिदेशक।